पुलिस आदेश सं0 227/91

पुलिस आदेश संख्या 219/90 की कंडिका 2 (क) के अंतर्गत निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

अवर निरीक्षकों की तरह आरक्षी निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार एवं आरक्षी का रेल पुलिस में पदस्थापन अप्रिय पदस्थापन नहीं माना जायेगा क्योंकि रेल पुलिस में जिला पुलिस की भांति ही सुविधाएं और कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध है अतएव रेल पुलिस में उन आरक्षी निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदारों एवं आरक्षियों के पदस्थापन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा जो पूर्व में अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा या प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित रह चुके हैं। इसी तरह रेल पुलिस में पदस्थापित आरक्षी निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदारों या आरक्षियों को भी अपराध अनुसंधान विभाग, विशेष शाखा, प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानान्तरित/पदस्थापित करने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना

ज्ञापांक 4227/पी-2
7-6-53-90पार्ट-3

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक 5 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1) – महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/तकनीकी सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

2) – सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ।

3) – सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे/आरक्षी उप-महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पी0टी0सी0 को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ।

4) – सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल आरक्षी अधीक्षक/प्राचार्य, पी0टी0सी0/आरक्षी अधीक्षक, प्रशिक्षण केन्द्र, पटना को सूचनार्थ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

प्रशाखा पदाधिकारी, पी-1 प्रशाखा/पी-2 प्रशाखा (गजट) को द्वितीयक में/एक्स-पी प्रशाखा/एक्स-एन प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

श्रीवास्तव/1.7.91